217839 - चेहरे के दोष को दूर करने के लिए सर्जरी कराने का हुक्म

प्रश्न

मैं अपने चेहरे से कुछ निशानों को मिटाने के लिए सर्जरी कराने का हुक्म जानना चाहता हूँ, जो कि मेरे बचपन ही से अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वे मेरी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, खासकर लोगों से मिलते समय।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

शरीर पर होने वाले दोषों (विकृति) को दूर करने के लिए सर्जरी कराना अनुमेय है, जब तक कि उन ऑपरेशनों से रोगी के शरीर या स्वास्थ्य को अधिक नुकसान न पहुँचे। अतः अगर डॉक्टरों की राय के आधार पर यह साबित हो जाता है कि इस तरह की सर्जरी से कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसे कराने में कोई आपत्ति की बात नहीं है।

शैख अब्दुल अज़ीज़ इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह से पूछा गया :

मैं 18 साल का एक युवक हूँ और मेरी शादी होने वाली है। मेरे चेहरे पर एक निशान है, जिससे मुझे लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या मेरे लिए अपने चेहरे की सर्जरी कराना जायज़ है ताकि मैं लोगों के सामने विकृत न दिखूँ?

तो शैख़ रहिमहुल्लाह ने उत्तर दिया :

“अगर चेहरे पर चेचक का कोई निशान है, या चेहरे पर कोई और चीज़ है जो उसे विकृत करती है। यदि डॉक्टरों के पास कोई ऐसी चीज़ है जो इस निशान को मिटा देती है और उसकी विकृति को दूर कर देती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ...” इब्ने बाज़ की “फ़तावा नूरुन अलद-दर्ब” (20/307) से उद्धरण समाप्त हुआ।

तथा 'इफ़्ता की स्थायी समिति' : से एक ऐसे युवक के बारे में पूछा गया जिसके स्तनों में स्पष्ट फलाव (उभार) उत्पन्न हो गया था।

तो उसने उत्तर दिया :

“इस फलाव (उभार) को हटाने के लिए आपके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की अनुमति है, अगर प्रबल संभावना यह है कि ऑपरेशन सफल होगा और इससे कोई ऐसा नुक़सान नहीं होगा, जो अपेक्षित लाभ से अधिक या उसके बराबर हो। और अल्लाह ही सामर्थ्य प्रदान करने वाला है।”

“फ़तावा अल-लजनह अद-दाईमह – प्रथम संग्रह” (25/63) से उद्धरण समाप्त हुआ।

अधिक जानकारी के लिए प्रश्न संख्या : (97651) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।